

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला

चित्तौड़गढ़ राज०

पीठासीन अधिकारी- सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

करण संख्या-145/2015

दिनांक 26.05.2022

भैरू लाल पिता उदय लाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी
मण्डफिया तहसील भदेसर।

.....प्रार्थी

॥ बनाम ॥


श्री सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा० भू-राजस्व अधि० 1956
उपस्थित-फारुख मोहम्मद वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया -

1. प्रार्थी के आधिपत्य आराजी ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा में स्थित है जिसके नवीन खसरा संख्या 631,632 व 633 बने जिसमें से नये खसरा नं. 631 व 633 रकबा 0.20 एवं 0.39 कुल किता 02 कुल रकबा 0.59 हैक्टर को बिलनाम दर्ज कर दी गयी। वर्तमान खसरा नं. 632 रकबा 0.07 हैक्टर ही मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज की गयी है जबकि पुराने खसरा नम्बर 502 मीन रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा था जिसपर प्रार्थी मौके पर काबिज था व वर्तमान में काबिज है । वर्तमान के राजस्व रिकार्ड में बिलनाम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी की आराजी का रकबा पुराने नम्बर के अनुसार शुद्धि करा जमाबन्दी में अंकित कराना चाहता है। साक्ष्य में


उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

नकल जमाबन्दी ,मिलानशीट,साबिक जमाबंदी, नक्शा ट्रेस संलग्न है

।

2. यह कि उक्त आराजी के नये खसरा नं. 632 रकबा 0.07 हैक्टर बना है जिसमें प्रार्थी की आराजी का रकबा पुराने नम्बर के अनुसार कम हुआ है जिसे प्रार्थी पुराने रकबा के अनुसार शुद्धि करा जमाबन्दी में अंकित कराना चाहता है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।
3. यह कि प्रार्थी ने खसरा सं. 502 मीन रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा को रजिस्टर्ड क्रय विलेख से दिनांक 07.02.2011 को श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नि श्री हिम्मद सिंह जाति राजपुत निवासी देवाखेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ से क्रय की थी उसी दिनांक से प्रार्थी मौके पर काबिज है और लेकिन वर्तमान में सेंटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि को बिलनाम दर्ज कर दिया गया है। इस कारण से प्रार्थी पुराने रकबा अनुसार शुद्धि करा जमाबन्दी में अंकित कराना चाहता है। जानकारी होते ही उक्त त्रुटि दुरुस्त कर शुद्धिकरण कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।
4. यह कि वर्तमान जमाबन्दी की नकल लेने पर पाया गया कि उक्त आराजी का रकबा वर्तमान रिकार्ड में गत के मुकाबले कम हो गया है जबकि प्रार्थी मौक पर खाते में पुरानी आराजी के अनुसार काबिज है।
5. यह कि प्रार्थी द्वारा पुरानी जमाबन्दी की नकल निकाली गयी जिसमें प्रार्थी का पुरा रकबा था नये सेटलमेन्ट में त्रुटिवश रकबा छोटा हो गया जबकि मौके पर उक्त भूमि बराबर है तथा प्रार्थी का जमीन संबंधित कोई विवाद नहीं है प्रार्थी ने खसरा संख्या 502 मीन रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से दिनांक 07.02.2011 को श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नि श्री हिम्मत सिंह जाति राजपुत निवासी देवाखेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ से क्रय की थी उसी दिनांक से उक्त भूमि प्रार्थी की है।
6. यह कि उक्त वर्णित भूमि को वर्तमान के मुकाबले गत भू प्रबन्ध के अनुसार रकबा का अंकन कराया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा

राजपुत अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

ट्रेस को सुधारकर मौके पर मौजूद भूमि के अनुसार तथा क्षेत्रफल अनुसार तरमीम करने का आदेश धारा 136 न्यायोचित है तदर्थ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की पुष्टि में वर्तमान जमाबन्दी की नकल एवं पुरानी जमाबन्दी की नकल व प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि को क्रय की जिसकी नकल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
8. तहसीलदार भदेसर के आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/08 दिनांक 04.01.2022 की पालना में ग्राम लेसवा की आराजी न. 631 व 632, 633 किता 03 रकबा 0.66 हैक्टर मौका रिपोर्ट हेतु हमराह पटवार हल्का लेसवा एवं प्रार्थी मौके पर पहुंचा प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दिनांक 07.02.2022 लेसवा की गत साबिक आराजी न. 502 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा भैरूलाल पिता उदयलाल गुर्जर निवासी मण्डफिया द्वारा श्रीमती पुष्पा कुवंर पत्नि हिम्मत सिंह राजपूत द्वारा क्रय की गयी। पटवार हल्का लेसवा द्वारा मिलान क्षेत्रफल से गत आ.न. 502, आ.न. 631, 632 व 633 से बनना परिलिखित है। जिसका रकबा 0.66 हैक्टर गत आ.न. 502 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा के समकक्ष प्रतीक होता है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण किया जाकर आ.न. 631 रकबा 0.20 आ.न. 632 रकबा 0.07 व आ.न. 633 रकबा 0.39 हैक्टर गत आराजी न. 502 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा के समकक्ष प्रतिबत होता है। मौका अनुसार आ.न.631,632 व 633 को राजस्व रेकार्ड को दुरस्त कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर.0एक्ट तहसीलदार भदेसर की मौका रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है कि मौजा ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा में स्थित है जिसके साबिक आराजी नं0 502 रकबा 03 बिघा 01 बिस्वा के नवीन आराजी नं0 631 रकबा 0.20 आ.न. 632 रकबा 0.07 व




Om
आर.न. 631 रकबा 0.20 आ.न. 632 रकबा 0.07 व
आर.न. 633 रकबा 0.39 हैक्टर गत आराजी न. 502 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा के समकक्ष प्रतिबत होता है।

आ.न. 633 रकबा 0.39 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टर भूमि के भू प्रबन्ध से प्रार्थी का शुद्धी से खाता दुरस्त दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।
निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।




(संजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर